जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
42/2016

No. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस पूर्व में दिनांक 06.12.2016 को सुनी जा चुकी है।

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2016 के द्वारा तहसीलदार, सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

1. विधान सभा चुनाव 2013 में बीएलओ क्रमांक 742–858 के अन्दर श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 को मतदाता पहचान पत्र वितरण हेतू एवं विधान सभा चुनाव के कार्यो का निष्पादन हेतू नियुक्ति का पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. सुभाष गोयल बीएलओ भाग संख्या 80 के मतदाताओ को (समस्त मतदाताओ को) पर्ची वितरित कर दी गई है। इस आश्य का निर्वाचन नियमों की पालना में पर्ची/परिचय पत्र वितरित करने का प्रमाण पत्र सुभाष गोयल के हस्तलिखित प्रमाण पत्र।
3. बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा विधान सभा चुनाव में परिचय पत्र वितरित करने का प्रमाण न दिये जाने पर उसके विरूद्ध निर्वाचन नियमो के जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. उक्त आदेश की भगिमां करने पर (परिचय पत्र वितरण करने में) जो अधिकारी बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है उसका नाम व पद की सूचना व नियम की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 4585 दि0 14.03.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा गंगानगर की भाग संख्या 80 के बीएलओ श्री सुभाष गोयल से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसके जबाब उन्हे उनके कार्यालय के पत्र सं0 4339 दिनांक 04.02.2016 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है। उनका यह भी निवेदन है कि गंगानगर विधान सभा के भाग सं0 1 से 6 व 124 से 185 के वे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है भाग संख्या 80 का बी एलओ उनके कार्यालय से संबंधित नही है और न ही भाग संख्या 80 के बीएलओ का किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड उनके कार्यालय में संधारित है। श्री राधेश्याम द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड का संधारण उनके कार्यालय से नही किया जाता है इसलिए अपील निराधार होने से खारिज की जावे।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 4339 दि0 04.02.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई सूचना विधान सभा गंगानगर की भाग संख्या 80 के बीएलओ श्री सुभाष गोयल से संबंधित है।

अधो हस्ताक्षरकर्ता गंगानगर विधान सभा के भाग संख्या 1 से 6 एवं 124 से 185 के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है। भाग संख्या 80 का बीएलओ अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन कार्य नही करता है। अतः भाग संख्या 80 के बीएलओ का किसी भी प्रकार का रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नही है

आप द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा गंगानगर विधान सभा के भाग संख्या 80 के बीएलओ श्री सुभाषचन्द्र गोयल से संबंधित सूचना तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीगंगानगर से चाही गई है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार वे भाग संख्या 1 से 6 व 124 सं 185 तक के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है। भाग संख्या 80 के बीएलओ से संबंधित रिकार्ड उनके कार्यालय में संधारित नही है जिस कारण उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 04.02.2016 सही है।** अपीलार्थी को चाही गई सूचनाओं के संबंध में संबंधित क्षम अथोरिटी के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर